UPBS010027602026

न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०–1 बस्ती।
पीठासीन अधिकारी– कमलेश कुमार, (उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP6048
अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या ––––––835/2026
श्याम नरायन चौधरी ––––––बनाम–––––– सरकार उ०प्र०।
अपराध सं०–88/2026
धारा– 420 भा०दं०सं०
थाना– पुरानी बस्ती, जिला बस्ती।

दिनांक 03–06–2026

श्री विवेक शुक्ल, एडवोकेट ––––आवेदक/अभियुक्त की तरफ से
श्री लक्ष्मीकान्त द्विवेदी, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौ० –अभियोजन पक्ष की तरफ से

1. प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा –482 बी०एन०एस०एस०, आवेदक/अभियुक्त श्याम नरायन चौधरी पुत्र स्व० सीताराम साकिन मरवटिया, थाना पुरानी बस्ती, जिला बस्ती की तरफ से उपरोक्त प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रस्तुत मामले में संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा मंजु गुप्ता पत्नी राजुकमार गुप्ता निवासी वाघनगर धाना दुधारा जनपद संतकबीर नगर की रहने वाली है। प्रार्थिनी के पति के सहयोग से प्रार्थिनी जमीन गाटा सं० 313 ग्राम मरवटिया में विक्रेता श्याम नरायण पुत्र सीता राम निवासी मरवटिया थाना पुरानी बस्ती से दिनाँक 19–11–2006 को मु0 1,20,000/–एक लाख बीस हजार रूपये में कुल हक हिस्सा रकबा 1/6 भाग क्रय किया था। प्रार्थिनी के पास आर्थिक समस्या के कारण उक्त जमीन का निर्माण नहीं करा सकी। प्रार्थिनी अपने जमीन पर निर्माण कराने की तैयारी में थी तभी पता चला की उक्त विक्रेता श्याम नरायण चोरी से छल कपट करके उक्त को जिसमे वह अपना कुल हक हिस्सा उसे बेच चुके थे उसके बावजूद पुनः उसी गाटे को उमेश नरायण मिश्रा पुत्र स्व० जगत नरायन मिश्रा निवासी सरैवन थाना वाल्टरगंज को बेच दिये। चूंकि उस समय उसका दाखिल खारिज नहीं हुआ था। इस प्रकार श्याम नरायन छल कपट करके तथ्यों को छुपा कर रजिस्टर बैनामा दुबारा कर दिये इसी प्रकार श्याम नरायन अपने गाटा सं० 58 में उसे व प्रेमा देवी को रजिस्टर बैनामा किए उसके बाद छल से अपनी लड़की किरन के हक में राजिस्टर 3 हिब्बा कर दिये इस प्रकर श्याम नरायन छल कपट करने में माहीर है। वादिनी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना पुरानी बस्ती में अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध अपराध सं०–88/2026 में मुकदमा पंजीकृत किया गया।

3. जरिये जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक/अभियुक्त का कथन है कि आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र है, इस अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र के अलावा कोई अन्य अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र किसी न्यायालय या उच्च न्यायालय प्रयागराज में विचाराधीन नही है, न ही दाखिल है, और न ही निर्णीत ही हुआ है। प्रार्थी द्वारा अपनी आराजी

Digitally signed by Kamlesh Kumar
Date: 2026.06.04 08:31:04 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

नम्बर 313 के अपने हक हिस्से का बैनामा वादिनी मंजू देवी के पक्ष में दिनांक 19.11.2006 को किया था, लेकिन जमीन मौके पर पैमाइश के बाद कम निकली, तो वादिनी मुकदमा ने प्रार्थी से रूपया वापस मांगने लगे, प्रार्थी ने कहा चल कर बैनामा कैंसिल कराओ, तब रूपया देगें। लेकिन वादिनी के पति द्वारा कहा गया कि रूपया आप मुझे दे देगें, तो मैं दाखिल खारिज का आवेदन नहीं करवाउंगा, आप अपनी जमीन किसी को भी दे सकते है। भविष्य में दीवानी कचेहरी में चलकर दस्तावेज बैनामा कैंसिल करा दूंगा। प्रार्थी द्वारा कई बार जब वादिनी से कहा गया कि दस्तावेज बैनामा कैंसिल करा लो, तो वह टाल मटोल करते रहते, लेकिन वादिनी द्वारा रूपया वापस प्राप्त करने के पश्चात दाखिल खारिज का आवेदन नहीं किया। प्रार्थी को अपने इलाज हेतु रूपये की आवश्यकता पड़ी तो वह अपनी आराजी को बेच दिया, तब वादिनी द्वारा प्रार्थी के ऊपर दबाव बनाने के लिये थाने से मिलमिला कर, प्रार्थी के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करा दी गयी है। प्रार्थी ने कोई अपराध नही किया, महज साजिशन फंसाकर, गिरफ्तार कराने का कुचक्र रचा जा रहा है। प्रार्थी कई बीमारियो से जैसे शुगर, बी०पी०, पित्त की थैली आपरेशन कर निकाली जा चुकी है, प्रार्थी नियमित दवाईयो पर ही चल पा रहा है, पुलिस द्वारा प्रार्थी को गिरफ्तार करने की स्थिति में प्रार्थी जेल में बिना उचित चिकित्सीय सलाह के मर जायेगा। प्रार्थी विवेचना में भरपूर सहयोग करने को तैयार है, अग्रिम जमानत की शर्तों का पूरी तरह से पालन करेगा, जिसमे कोई त्रुटि नही होगी। प्रार्थी से मफरूर होने का अंदेशा नही है, पुलिस को विवेचना में सहयोग हेतु हमेशा उपस्थित रहेगा। अग्रिम जमानत न मिलने पर वादी मुकदमा साजिशन प्रार्थी की गिरफ्तारी पुलिस से करवा देगें, प्रार्थी जेल में निरूद्ध हो जायेगा, जिससे प्रार्थी के जीवन को संकट उत्पन्न हो जायेगा। उपर्युक्त आधारों पर अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने प्रार्थना की गयी।

4. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अभियुक्त/आवेदक के जमानत प्रार्थनापत्र का तीव्र विरोध किया गया है।

5. सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. आवेदक/अभियुक्त द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र धारा 482 बी०एन०एस० एस० के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है। धारा 482 बी०एन०एस०एस० यह प्रावधानित करती है कि जब किसी व्यक्ति को यह विश्वास करने का कारण है कि हो सकता है , उसको किसी अजमानतीय अपराध के किये जाने के अभियोग में गिरफ्तार किया जाये, तो वह इस धारा के अधीन निदेश के लिये उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय को आवेदन कर सकता है कि ऐसी गिरफ्तारी की स्थिति में उसको जमानत पर छोड़ दिया जाये, और उच्च न्यायालय, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुये अर्थात् :

(1) अभियोग की प्रकृति और गम्भीरता

(2) आवेदक के पूर्ववृत्त जिसमें यह तथ्य भी है कि क्या उसने किसी संज्ञेय अपराध की बावत किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर पहले सजा भुगती है:

(3) न्याय से भागने की आवेदक की सम्भाव्यता; और

(4) जहां आवेदक द्वारा उसे इस प्रकार गिरफ्तार कराकर क्षति पहुंचाने या अपमान करने के उद्देश्य से अभियोग लगाया गया है, या तो तत्काल आवेदन अस्वीकार करेगा या अग्रिम जमानत मंजूर करने के लिये अन्तरिम आदेश देगा ।

7. अग्रिम जमानत के मामले में अपराध की प्रकृति एवं गंभीरता एक प्रमुख घटक है। प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त द्वारा जमीन गाटा सं० 313 ग्राम मरवटिया में वादिनी को 1,20,000/–रू० में क्रय किया गया तथा उक्त जमीन को बाद में अभियुक्त द्वारा सही तथ्यों को छिपाकर छल व कपट करके उमेश नरायण मिश्रा पुत्र स्व० जगत नरायन मिश्रा को बेच दिया गया, का कथन किया गया है। इस प्रकार आवेदक/अभियुक्त पर फर्जी व कूटररचित तरीके से एक ही जमीन को रजिस्टर बैनामा दुबारा कर दिये जाने का आरोप है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध सात साल तक के कारावास से दंडनीय है। उक्त अग्रिम जमानत में यदि आवेदक /अभियुक्त को रिहा किया जाता है तो साक्ष्य में छेड़छाड़ किये जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। प्रस्तुत प्रकरण में अभी विवेचना प्रचलित है। अतः मामले के संपूर्ण तथ्य व परिस्थितयों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण में बिना गुणदोष पर विचार किये मैं अभियुक्त/आवेदक को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं पाता हूँ। आवेदक/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त/आवेदक **श्याम नरायन चौधरी** द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–835/2026, अंतर्गत धारा–420 भा०दं०सं०, थाना पुरानी बस्ती, जिला बस्ती निरस्त किया जाता है।

दिनांकः 03–06–2026

(कमलेश कुमार)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं०–1 बस्ती।

–